

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना  
शुद्धि -पत्र

उद्योग निदेशालय के स्वीकृत्यादेश सं०-५४१, दिनांक-०७.०२.१८ के द्वारा स्वीकृत राशि रु०२४,२२,२०६/- (चौबीस लाख बाईस हजार दो सौ छः मात्र) की निकासी राज्यादेश सं०-६१३, दिनांक-१९.०९.१७ एवं आवंटन आदेश सं०-५१/आ०, दिनांक-२०.०९.१७ के द्वारा वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में उपलब्ध राशि से निकासी की जाएगी।

ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../

दिनांक.....


प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक (खा० प्र०), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चंपारण/ नालंदा/ लखीसराय/ वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सर्वश्री आई०एल० एण्ड एफ०एस० क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव लि०, पटना/ सर्वश्री ग्रॉन्ट थोर्टन इण्डिया एल०एल०पी०, गुडगाँव के द्वारा समर्पित दो-दो विपत्र मूल में संलग्न है।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-०३ एवं प्रशाखा-०५, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-०२, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-०१ (सरकार)/ सर्वश्री आई०एल० एण्ड एफ०एस० क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव लि०, पटना/ सर्वश्री ग्रॉन्ट थोर्टन इण्डिया एल०एल०पी०, गुडगाँव / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ को सूचनार्थ प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।





बिहार सरकार,  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)  
बिहार, पटना।

विषय:-

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत सर्वश्री आई०एल० एण्ड एफ०एस० क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव लि० एवं सर्वश्री ग्रान्ट थोर्टन इण्डिया एल०एल०पी० को परामर्शी शुल्क के रूप में कुल रु०२४,२२,२०६/- (चौबिस लाख बाईस हजार दो सौ छः रुपए) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-

स्वीकृत।  
मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु डी०पी०आर० तैयार करने एवं इसकी स्थापना में तकनीकी एवं अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु परामर्शी की सेवा उपलब्ध करने के एवज में परामर्शी को परामर्शी शुल्क के रूप में वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में शीप बटन क्लस्टर बथना, पूर्वी चंपारण एवं राईस मिल क्लस्टर, लखीसराय के लिए सर्वश्री आई०एल० एण्ड एफ०एस० क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव लि० को प्रथम किश्त में भुगतयेय रु० १४१९८०७/- (चौदह लाख उन्नीस हजार आठ सौ सात रुपए मात्र) एवं झूला क्लस्टर, कन्हैयागंज, नालंदा एवं ब्रॉस-ब्रान्ज यूटेन्सिल क्लस्टर, रामराय सिंघाड़ा, वैशाली के सामान्य सुविधा केन्द्र के डी०पी०आर० तैयार करने के विरुद्ध सर्वश्री ग्रान्ट थोर्टन इण्डिया एल०एल०पी० को परामर्शी शुल्क के रूप में प्रथम किश्त में भुगतयेय रु० १००२३९९/- (दस लाख दो हजार तीन सौ निन्यानवे रु० मात्र) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-२८५२-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष -८०, लघु शीर्ष-१०२-औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-२३ उपशीर्ष-०१४२-प्रोजेक्ट एवं फिजीविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य, विपत्र कोड-२३-२८५२८०१०२०१४२ राज्य योजना विषय शीर्ष ०१४२.२८.०३ कंसल्टेंसी मद में वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जायेगी।

३. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक (खा० प्र०), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

४. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

५. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी कर सर्वश्री ग्रान्ट थोर्टन इण्डिया एल०एल०पी० को स्वीकृत राशि रु०१०,०२,३९९/- (दस लाख दो हजार तीन सौ निन्यानवे रु० मात्र) में से रु० ३,६९,१९० (तीन लाख उनहत्तर हजार एक सौ नब्बे रु० मात्र) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गए अग्रिम के समायोजन हेतु उपलब्ध करायेंगे तथा शेष राशि रु०-६,३३,२०९/- सर्वश्री ग्रान्ट थोर्टन इण्डिया एल०एल०पी० को उपलब्ध कराएँगे।

६. इस राशि की निकासी पूर्ण प्रमाणक के आधार पर कोषागार फार्म संख्या २५ पर की जाएगी।

7. इस राशि का भुगतान सर्वश्री आई० एल० एण्ड एफ०एस० क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव लि०/सर्वश्री ग्रान्ट थोर्टन इण्डिया एल०एल०पी, /मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना को डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355/वि०(2), दिनांक-05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...541...../

दिनांक...7.2.18.....


प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक (खा० प्र०), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चंपारण/ नालंदा/लखीसराय/वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सर्वश्री आई०एल० एण्ड एफ०एस० क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव लि०, पटना/ सर्वश्री ग्रॉन्ट थोर्टन इण्डिया एल०एल०पी०, गुड़गाँव के द्वारा समर्पित दो-दो विपत्र मूल में संलग्न है।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03 एवं प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार)/ सर्वश्री आई०एल० एण्ड एफ०एस० क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव लि०, पटना/ सर्वश्री ग्रॉन्ट थोर्टन इण्डिया एल०एल०पी०, गुड़गाँव / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/को सूचनार्थ प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।